समाहरणालय, मधेपुरा

(पंचायत कार्यालय)

–:आदेश:–

संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आवंटनादेश संख्या–23(आ0), दिनांक –31.08.2016 द्वारा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–10, दिनांक 22.08.2016(संलग्न) के क्रम में "योजना मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0112–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु'' मद अंतर्गत " 3106–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा'' इकाई वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रत्येक ग्राम कचहरी को प्रशासनिक व्यय हेतु **मो0 3335/–(तीन हजार तीन सौ पैंतीस रूपये)** मात्र की दर से मधेपुरा जिलान्तर्गत प्राप्त आवंटन कुल मो0 5,66,950/–(पाँच लाख छियासठ हजार नौ सौ पचास रूपये मात्र) को निम्न प्रकार प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उनके प्रखंड के नाम के सामने उपावंटित किया जाता है :–

क्र0	प्रखंड का नाम	ग्राम कचहरियों की संख्या	निर्धारित दर	आवंटित राशि (रूपये में)
1	मधेपुरा	17	3335	56695.00
2	घैलाढ़	09	3335	30015.00
3	सिंहेश्वर	13	3335	43355.00
4	शंकरपुर	09	3335	30015.00
5	गम्हरिया	08	3335	26680.00
6	मुरलीगंज	17	3335	56695.00
7	कुमारखंड	21	3335	70035.00
8	ग्वालपाड़ा	12	3335	40020.00
9	बिहारीगंज	12	3335	40020.00
10	पुरैनी	09	3335	30015.00
11	चौसा	13	3335	43355.00
12	उदाकिशुनगंज	16	3335	53360.00
13	आलमनगर	14	3335	46690.00
	कुल योगः–	170		566950.00

मो0 (पाँच लाख छियासठ हजार नौ सौ पचास रूपये मात्र)।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–एम–4–05/98–2561 वि(2), दिनांक 17.04.1998 एवं 423, दिनांक–31.03.2016, 2063 दिनांक 11.03.2016, 2793 दिनांक 04.04.2016 तथा 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने–अपने प्रखंड के ग्राम कचहरियों को अविलंब उपलब्ध करायेंगे। आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जांच–पड़ताल के बाद हीं की जाय। यदि कोई अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि का उपयोग कागज, रजिस्टर, आलमीरा, दरी एवं कार्यालय व्यय में किया जायेगा।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले विपत्रों पर शीर्ष आदि, ईकाइयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढ़ंग से हो सके।

5. वित्तीय नियमावली, बजट मेनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानो तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके। व्यय विवरणी /उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रत्यार्पण प्रतिवेदन दिनांक–20.03.2017 तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड संख्या–पी0–251500800011 2 है।

ह0/–

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 1259 /पं0, मधेपुरा, दिनांक 29/09/2016.

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल तथा मधेपुरा के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,

मधेपुरा।